

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

कमांक प.18(15)एम.ई./ग्रुप-1/2017

जयपुर, दिनांक:

6 JUL 2020

आदेश

जनलेखा समिति, राजस्थान विधानसभा, प्रधान महालेखाकार तथा वित्त अंकेक्षण विभाग को अंकेक्षण सम्बन्धी समस्त मामलों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित कराये जाने हेतु निम्नानुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं:-

प्रशासनिक विभाग (शासन सचिवालय के स्तर पर)	श्री रमेश चन्द्र आर्य शासन उप सचिव, चि.शि. (ग्रुप-1) विभाग दूरभाष कार्यालय 2227406 मो.नं. 9414455301
विभागाध्यक्ष (निदेशालय स्तर पर)	श्री मनीष माथुर वित्तीय सलाहकार, नि.चि.शि. दूरभाष कार्यालय 2606133 Extn.108 मो.नं. 9928030168

उक्त नोडल अधिकारी अंकेक्षण से सम्बन्धित समस्त मामलों के निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रेषित कराने के लिये उत्तरदायी होंगे। नोडल अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने की स्थिति में नोडल अधिकारी का चार्ज सम्भलवाया जावे एवं उसकी सूचना सम्बन्धित प्राधिकारियों को भी प्रेषित की जावे।

6/7/2020
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
9. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग (ग्रुप-1) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।
11. रक्षित पत्रावली।

6/7/2020
संयुक्त शासन सचिव